न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 30/2019 (2/2013)

GCMS NO. : **2013/00060**

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थी ::–
1. पाबुराम पुत्र लालाराम जाति चौकिदार निवासी घोडावड़ तहसील जैतारण।		1. चन्द्राराम पुत्र लालाराम जाति चौकिदार निवासी घोडावड़ तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 31/08/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल व गैर सायल की पैतृक पुश्तेनी खातेदारी के जमीन ग्राम घोडावड में खसरा नम्बर 283 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 438 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा की किश्म बारानी अव्वल की आई हुई है। यह भूमि सायल व गैर सायल के पिता फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण के जरिए राजस्व रेकर्ड में सायल व गैर सायल का नाम दर्ज किया गया। व सायल व गैर सायल के साथ इनकी बहनें सोहनी व हिरकी का नाम भी दर्ज किया गया। लेकिन सोहनी व हिरकी ने दिनांक 20.05.2011 को नामान्तरकरण संख्या 940 के जरिए हक तर्कनामा गैर सायल के पक्ष में करने से सोहनी व हिरकी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया गया। दिनांक 20.05.2011 को न्यायालय से स्थगन होने के बावजूद भी सोहनी व हिरकी पूर्व दावे में पक्षकार होते हुए भी गैर सायल के पक्ष में हक तर्कनामा कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। खसरा नम्बर 282 ग्राम घोडावड की आबादी के पास आई हुई है उक्त जमीन किमती है तथा खसरा नम्बर 430 ग्राम घोडावड से तीन किलोमीटर दूर होने से कम किमत की है। गैर सायल [illegible] में फर्क आ गया। और खसरा नम्बर 282 की जमीन पर अकेले कब्जा [illegible] पक्का मकान बना रहा है। जबकि दोनों खसरा की भूमि पर सायल व गैर सायल का यानि प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा माफिक कब्जा काश्त के चला आ रहा है। दिनांक 31.01.2013 को गैर सायल द्वारा उक्त भूमि में नीवें खोदकर खसरा नम्बर 282 में पक्का मकान बिना बंटवाड़ा किये ही बनाना शुरू कर दिया, सायल ने गैर सायल को रोकने की कोशिश की तब गैरसायल व इनके चारों पुत्रों ने सायल के साथ मारपीट करने शुरू कर दी और जबरदस्ती मकान का निर्माण शुरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:44:19 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

कर दिया। विवादित भूमि सायल व गैरसायल की पैतृक पुश्तेनी होने से बिना बंटवाड़े करवाये ही गैर सायल को पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैर सायल किमती जमीन पर लाठी के बल पर जबरदस्ती कब्जा करके निर्माण कर रहा है जबकि दोनों खसरान की भूमि में सायल व गैर सायल का बहिस्सा बराबर आया हुआ है यदि गैर सायल व उनके पुत्र अकेले बिना बंटवाड़ा किये ही जबरदस्ती पक्का मकान का निर्माण कर लेंगे तो सायल अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा। इसलिए जब तक न्यायालय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक गैर सायल को खसरा नम्बर 282 की भूमि पर कच्चा या पक्का निर्माण करने से रोका जाना जरूयी है। पूर्व में भी गैर सायल संख्या 01 ने उक्त भूमि पर निर्माण करने की कोशिश की तब सायल ने दावा/प्रार्थना पत्र कर रूकवाया था। लेकिन गैर सायल द्वारा सायल को विश्वास में लेकर कि मैं बंटवाड़ा किये बिना मकान नहीं बनाऊगा का कहकर दावा खारिज करवा दिया। और अब नये सिरे से बिना बंटवाड़े किये ही पुनः मकान बनाना शुरु कर दिया। गैर सायल ने सोहनी व हिरकी से अपने अकेले के पक्ष में इनके हिस्से की भूमि का हक-तर्कनामा दौरानें दावा स्थगन आदेश होते हुए भी करवा लिया इसलिए सोहनी व हिरकी द्वारा किये गये हकतर्कनामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गैर सायल संख्या 01 का उक्त विवादित भूमि में 3/4 हिस्से में दर्ज कर दिया जो रद्द किया जाकर सायल को विवादित भूमि के बहिस्सा बराबर यानि 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि सायल व गैर सायल की पैतृक पुश्तेनी होने से व राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में बहुत ही मजबूत है। यदि गैर सायल विवादित जमीन पर लाठी के बल पर जबरदस्ती कब्जा करके निर्माण कर लेंगे तो सायल अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा एवं सायल को गैर सायल के विरूद्ध विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करनी पड़ेगी जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। विवादित जमीन के राजस्व रेकर्ड में व आपस में मुण्डा गड़ी नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है। इसलिए जब तक न्यायालय से बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस से बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक गैर सायल को खसरा नम्बर 282 की भूमि पर कच्चा व पक्का निर्माण करने व सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम घोड़ावड़ में खसरा नम्बर 282 में गैर सायल व इनके परिवार के सदस्य, नौकर-[illegible] एजेन्ट आदि कोई किसी प्रकारका कच्चा या पक्का [illegible] सायल को अपने 1/2 हिस्से में काश्त करने व उसका उपभोग करने [illegible] प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। जरिए अस्थाई [illegible] को ताफैसला दावा रोका जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:44:19 IS
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य कि ग्राम मौजा घोड़ावड़ में खसरा संख्या 282 रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा, खसरा नम्बर 438 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा कुल रकबा 11 बीघा 41 बीस्वा की कृषि भूमि आई हुई होने का कथन सही होने से स्वीकार है। सायल एवं गैर सायलान के साथ सोहनी देवी व हीरकी का नाम लालराम के बतौर उतराधिकारी के रुप में सायल व गैर सायलान के साथ नाम दर्ज किया गया है, सोहनी व हीरकी ने जरीये नामांतरण संख्या 940 दिनांक 20.05.2011 को अपने-अपने हिस्से की कृषि भूमि का गैर सायलान के पक्ष में हकतर्क कर नामांतरण तस्दीक करवाया था शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जवाब है कि उसमें वर्णित तथ्य कि खसरा संख्या 438, 282 के सायल और गैर सायलान 1/2-1/2 हिस्से के माफिक काश्त करते चले आ रहे है, गलत होने से अस्वीकार है। उपरोक्त कृषि भूमि में सायल का 1/4 हिस्सा है, और सायल अपने 1/4 हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहता है, इसलिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 282 की कृषि भूमि पर गैर सायलान के पशुओं के चारे के लिये तथा कृषि से संबंधित सामान रखने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही निर्माण हो रखा है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि इसमें वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, गैर सायलान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व निर्माण हो रखा है, इसलिये वादी ने वाद प्रस्तुत करने के आशय से दावे में गलत तथ्य अंकित कर आधारहीन दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 का जवाब है कि इसमें अंकित तथ्य की सोहनी व हीरकी द्वारा किये गये हकतर्क के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गैर सायलान संख्या 1 का भूमि में 3/4 हिस्सा दर्ज किया गया है, जो सही होने से स्वीकार है। विवादित भूमि में सायल को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का तथ्य अंकित है, जो गलत होने से अस्वीकार है। सायल, गैर सायलान के नाम 3/4 हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 282 में सायल का 1/2 हिस्सा नहीं है, उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित सायल कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, सायल का प्रार्थना पत्र मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाया जावें, [illegible]ना पत्र गैर सायल को सायल से दिलाया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वाद–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2065–68 ग्राम घोडावड खसरा संख्या 282 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा व खसरा संख्या 438 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित शामलाती भूमि है। प्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने वर्तमान दर्ज हिस्से 1/4 के स्थान पर 1/2 हिस्सा घोषित करवाने के साथ बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है एवं उनकी बहनों सोहनी व हिरकी ने वादग्रस्त आराजी में अपने हक–हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरीये हकतर्कनामा दर्ज करवा दिया। वादी ने यह भी कथन किया कि उक्त हक–तर्कनामा विधि विरूद्ध है जिसे रद्द किया जाकर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब प्रा.पत्र में उक्त कथन का खंडन करते हुए यह कथन किया कि सायल गैरसायलान के नाम 3/4 हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण के मूल अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना वादी के वाद–पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि कोई भी महिला अपनी स्वैच्छा से अपनी संपत्ति का व्ययन करने के लिए कानूनन सक्षम होती है, साथ ही वादी/प्रार्थी द्वारा वाद–पत्र में ऐसा कोई विधिक प्रावधान व कथन नहीं किये है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/वादी के पक्ष में होना साबित होता हो। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ है। सुविधा का संतुलन का प्रत्यक्ष संबंध वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभान्वित पक्ष से है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थी 1/4 हिस्से का। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि उपरोक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित है साथ ही प्रार्थी द्वारा इस बिन्दू को साबित करने के लिए कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि यदि हस्तगत प्रकरण में उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विद्वम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादीया अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested